

पत्रांक- 1/पी0एम0सी0/629/2003- 532

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक : ई0 सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

सेवा में,
राभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 13/06/2013.


विषय : निविदा आमंत्रण हेतु गुप निर्धारण के संबंध में ।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परियोजना के कार्य को क्षेत्रीय अभियंताओं के स्तर से खण्ड-खण्ड में बॉटकर निविदा आमंत्रित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप परियोजना के विभिन्न अवयव के कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करना संभव नहीं हो पाता है।

अतएव किसी परियोजना के लिए निविदा/कोटेशन कितने टूकड़ों में मांगी जाय, इसका निर्धारण वही पदाधिकारी करेंगे, जो उस पूरे कार्य की निविदा/कोटेशन निस्पादन के लिए सक्षम है ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए।

विश्वासभाजन,


13/6/2013

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।